न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2026

सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः 410–412, 18/12, चतुर्थ फ्लॉर डबलू ई ए, आर्य समाज रोड़, करोल बाग न्यू दिल्ली 110005 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री भावेश गोस्वामी

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री छाजू लाल सैनी, निवासी वार्ड नं0 06, ढाणी गुलाबपुरा, ककराना, जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. श्रीमती सुमन देवी, निवासी वार्ड नं0 06, ढाणी गुलाबपुरा, ककराना, जिला झुंझुनूं राजस्थान।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

––

उपस्थितः–

एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा– प्रार्थी कम्पनी की ओर से

आदेश

दिनांक 25.02.2026

प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 410–412, 18/12, चतुर्थ फ्लॉर डबलू ई ए, आर्य समाज रोड़, करोल बाग न्यू दिल्ली में स्थित एवं कार्यरत है। श्री भावेश गोस्वामी उक्त कम्पनी में प्राधिकृत अधिकारी है जिन्हें कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स द्वारा जरिये रिज्यूलेशन दिनांक 12 अगस्त 2025 के प्रार्थी कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, प्लीडिंग्स एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी कम्पनी के हक में प्रार्थना पत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत किया गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्री भावेश स्वामी के द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी कम्पनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की फोटो प्रति व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया दिनांक 23 जनवरी 2023 की फोटो प्रति सलंग्न है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये ऋण करार संख्या SMEUWA010011661 के द्वारा 20,00,000/–रुपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय–खसरा नं0 248, ग्राम ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल में से 0.1015 है0 है जो कि श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री छाजू लाल सैनी के स्वामित्व को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 04.11.2025 को ऋण के भुगतान के व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त खाते को एनपीए घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या SMEUWA010011661 में बकाया रुपये 22,60,221/–रुपये (अक्षरे बाईस लाख साठ हजार दो सो इक्किस रुपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 07.11.2025 तक शेष व देय निकलते हैं की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुनर्भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी है उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है। एक आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 248, ग्राम ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल में से 0.1015 है0 है जो कि श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री छाजूलाल सैनी के स्वामित्व के पक्ष में जरिये रजि0 उपहार पत्र दिनांकित 07 दिसम्बर 2021 अनुसार किया गया है। प्रार्थी बैंक उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उक्त चरण सं0 5 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति आवासीय खसरा नं0 438, ग्राम ककराना

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल में से 0.1015 है जो कि श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री छाजूलाल सैनी के स्वामित्व की है जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 में दिया गया है का वास्तविक कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण, उनके एजेन्ट, अभिकर्ता उत्तराधिकारी व अन्य किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी कम्पनी का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कम्पनी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आवासीय सम्पत्ति खसरा नं0 248, ग्राम ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल में से 0.1015 है0 है जो कि श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री छाजूलाल सैनी के स्वामित्व के पक्ष में जरिये रजि0 उपहार पत्र दिनांकित 07 दिसम्बर 2021 अनुसार किया गया है का पजेशन प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं